भारत का राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण

बनाम

शीतल जयदेव वाद और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 5256)

/

24 अगस्त, 2022

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

वैकल्पिक उपाय-भारत के संविधान की उपलब्धता-अनुच्छेद 226-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -धारा 34-मध्यस्थ न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार को निष्पादित करने के लिए राहत की मांग करने वाली अनुच्छेद 226 के तहत लिखित याचिकाएं-मनोरंजन-अस्वीकृत-आयोजितःनिजी उत्तरदाताओं-भूमि मालिकों द्वारा मांगी गई राहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के निष्पादन की प्रकृति में थी-इस तथ्य के अलावा कि अपीलकर्ता-एन. एच. ए. आई. द्वारा निर्णय को चुनौती दी गई है।34, मध्यस्थता अधिनियम जो लंबित है, उच्च न्यायालय को मध्यस्थता न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार को निष्पादित करने के लिए राहत की मांग करने वाली अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था, जब पारित पुरस्कार को संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष निष्पादन कार्यवाही शुरू करके निष्पादित किया जाना है-एनएचएआई को मध्यस्थ द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि जमा करने का निर्देश देने वाले आक्षेपित आदेश को पारित करके, उच्च न्यायालय ने वस्तुतः खुद को निष्पादन न्यायालय में बदल दिया-एक बार जब मूल रिट याचिकाकर्ता के पास मध्यस्थता न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार को निष्पादित करने के लिए एक प्रभावी, वैकल्पिक उपाय था, तो सक्षम निष्पादन न्यायालय के समक्ष उचित निष्पादन कार्यवाही शुरू करके, उच्च न्यायालय को मूल रिट याचिकाकर्ताओं को रिट पर विचार करने के बजाय उक्त उपाय का लाभ उठाने के लिए हटा देना चाहिए था।

/

/

/

/

/

सरस्वतीबाई चंद्रकांत शिंदे मामले में उच्चतम न्यायालय , उपस्थित

निर्देशों के साथ निपटाई गई कार्यवाही-आक्षेपित आदेश संशोधित-अवमूल्यन।

/

118 ए.

119

भारत का राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण बनाम शीतल जयदेव वाद और हमारा।

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 5256।

2021 की रिट याचिका संख्या 144 में औरंगाबाद में बॉम्बे बेंच के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 01.04.2022 से।

/

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., सुश्री शिविका मेहरा, सुश्री अमेय महादिक, नितिन पावुलुरी, सुश्री पूर्णिमा सिंह, अमन शर्मा, ऋषभ दुआ, सुश्री नीतिका शर्मा, टी. एस. सिद्धू मेसर्स एम. वी. किनी एंड एसोसिएट्स, एड.अपीलार्थी के लिए।

शिरीष के. देशपांडे, सुश्री रुचा प्रवीण मंडलिक, मोहित गौतम, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. 2021 की लिखित याचिका में औरंगाबाद में बॉम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उत्तरदाताओं द्वारा दायर एक रिट याचिका में-मूल भूमि मालिकों ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-एनएचएआई को विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिए गए पूरे मुआवजे की राशि जमा करने का निर्देश दिया है और उसके बाद मूल भूमि मालिकों-मूल रिट याचिकाकर्ताओं को पैराग्राफ 4 में उल्लिखित राशि को वापस लेने की अनुमति देते हुए, एनएचएआई ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

/

2. कि इसमें उत्तरदाताओं की भूमि-मूल भूमि मालिक-मूल रिट याचिकाकर्ताओं का अधिग्रहण एनएचएआई अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एनएचएआई द्वारा किया गया था। कि विद्वत मध्यस्थ द्वारा मुआवजे की राशि बढ़ाई गई।विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को एनएचएआई द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत बढ़ी हुई राशि की सीमा तक वैधानिक उपचार का लाभ उठाकर चुनौती दी गई है।कि चूंकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत कार्यवाही में विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार पर कोई रोक नहीं थी, इसलिए इसमें प्रतिवादी-मूल भूमि मालिकों ने विद्वान मध्यस्थ द्वारा मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए घोषित पुरस्कार को निष्पादित करने के लिए निष्पादन याचिका दायर करने के बजाय, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की और आदेश पत्र और/या उचित निर्देश/आदेशों के लिए अनुरोध किया जो एनएचएआई को राशि के साथ राशि जमा करने का निर्देश देते हैं।

/

/

/

/

/

दिनांक 12.06.2018 के पुरस्कार के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी, भूमि अधिग्रहण और उप-मंडल अधिकारी।आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-एनएचएआई को भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के पास ब्याज के साथ पूरी राशि जमा करने का निर्देश देकर उक्त रिट याचिका का निपटारा कर दिया है और उसके बाद मूल रिट याचिकाकर्ताओं-भूमि मालिकों को यह शपथपत्र दाखिल करने पर ब्याज के साथ राशि का 50 प्रतिशत वापस लेने का निर्देश दिया है कि यदि मुकदमे की यात्रा में उनके खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है और उन्होंने अतिरिक्त राशि वापस ली है, तो उक्त राशि को प्राधिकरण के पास फिर से जमा किया जाएगा।जहां तक ब्याज के साथ शेष 50 प्रतिशत राशि का संबंध है, उच्च न्यायालय ने मूल रिट याचिकाकर्ताओं-मूल भूमि मालिकों को एक विलायक जमानत देकर राशि का 25 प्रतिशत निकालने की अनुमति दी है और शेष 25 प्रतिशत राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में उक्त राशि का निवेश करने की स्वतंत्रता के साथ सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की जाएगी।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, एनएचएआई ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

/

/

3. अपीलार्थी-एन. एच. ए. आई. की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने जोरदार ढंग से कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आक्षेपित आदेश पारित करने में गंभीर गलती की है।

3.1 सुश्री भाटी, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष निष्पादन योग्य था और इसलिए जब मूल रिट याचिकाकर्ताओं के पास संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष निष्पादन कार्यवाही शुरू करके पुरस्कार को निष्पादित करने के लिए एक वैधानिक उपाय उपलब्ध था, तो उच्च न्यायालय को विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को निष्पादित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए था।

/

/

3.2 सुश्री भाटी, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ताओं-मूल भूमि मालिकों को ब्याज के साथ मुआवजे की राशि का 75 प्रतिशत वापस लेने की अनुमति देने में एक गंभीर त्रुटि की है, जब अपीलकर्ता ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत अपील/आवेदन के माध्यम से विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देने के लिए एन. एच. ए. आई. को उपलब्ध वैधानिक उपाय का लाभ उठाया था।

/

3.3 सुश्री भाटी, विद्वान ए. एस. जी. ने पारित आदेश पर भरोसा रखा है

/

इस न्यायालय द्वारा 2022 की अपील के लिए विशेष अनुमति No.12409 में ए पारित किया गया

121

भारत का राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण बनाम शीतल जयदेव वाद और हमारा। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम। सरस्वतीबाई चंद्रकांत शिंदे और अन्य जिनके द्वारा

तथ्यों और परिस्थितियों के समान इस न्यायालय ने एनएचएआई को मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत निष्पादन न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया है, जैसा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया है और मूल भूमि मालिकों को इसे बिना शर्त वापस लेने की अनुमति दी है, और मुआवजे की शेष राशि जो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत पारित की जानी है, एनएचएआई द्वारा इस तरह के निर्धारण के चार सप्ताह के भीतर निष्पादन न्यायालय में जमा की जानी है।

/

4. निजी उत्तरदाताओं-मूल रिट याचिकाकर्ताओं-मूल भूमि मालिकों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री शिरीष के. देशपांडे ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत कार्यवाही में विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर कोई रोक नहीं है और एनएचएआई ने बिना किसी मुआवजे का भुगतान किए भूमि पर कब्जा कर लिया है, माननीय उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है।हालाँकि, इसमें निजी उत्तरदाताओं-मूल भूमि मालिकों-मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, विवाद करने की स्थिति में नहीं हैं और इस बात पर विवाद नहीं कर रहे हैं कि विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष निष्पादन कार्यवाही के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है।

/

/

/

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

6. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इसमें निजी उत्तरदाताओं-मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग में निम्नलिखित राहत के लिए अनुरोध किया:

/

“(क) इस रिट याचिका की अनुज्ञात जा सकती है।

/

(ख) कि, प्रकृति के समान निर्देश के अनिवार्य रिट के माध्यम से उत्तरदाता संख्या 1 और 2 को कृपया प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा तुरंत पारित 12.06.2018 सीआर-1 के माध्यम से दिए गए

पुरस्कार के अनुसरण में प्रत्यर्थी संख्या 3 के पास राशि जमा करने का निर्देश दिया जा सकता है।

/

122

/

[2022] 11 एस सी आर।

(ग) कि, प्रकृति के समान निर्देशों के अनिवार्य लेखन के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 3 को कृपया प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा राशि जमा करने के बाद याचिकाकर्ताओं को तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है। "

6.1 इसलिए, निजी उत्तरदाताओं द्वारा मांगी गई राहत-मूल रिट याचिकाकर्ता विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार के निष्पादन की प्रकृति में थे।6.2 इस तथ्य के अलावा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करके एनएचएआई द्वारा दिनांकित आई. डी. 1 के निर्णय को चुनौती दी गई है, जो कि लंबित होने की सूचना है, उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था, जिसमें विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार को निष्पादित करने के लिए राहत की मांग की गई थी, जब विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार को संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष निष्पादन कार्यवाही शुरू करके निष्पादित किया जाना है।लेकिन, आक्षेपित आदेश/निर्देश पारित करके उच्च न्यायालय ने वस्तुतः खुद को निष्पादन न्यायालय में बदल दिया है।इसलिए, एक बार जब मूल रिट याचिकाकर्ता के पास सक्षम निष्पादन न्यायालय के समक्ष एक उचित निष्पादन कार्यवाही शुरू करके, विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार को निष्पादित करने के लिए एक प्रभावी, वैकल्पिक उपाय था, तो उच्च न्यायालय को मूल रिट याचिकाकर्ताओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका पर विचार करने के बजाय उक्त उपाय का लाभ उठाने के लिए हटा देना चाहिए था, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार को निष्पादित करने के लिए दायर किया गया था।यदि उच्च न्यायालय स्वयं को निष्पादन न्यायालय में परिवर्तित कर लेते हैं और मध्यस्थ न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार को निष्पादित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाओं पर विचार करते हैं, तो उच्च न्यायालय विद्वान मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण/मध्यस्थ न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कारों को निष्पादित करने के लिए रिट याचिकाओं से भर जाएंगे।7. हम विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निष्पादित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ऐसी रिट याचिकाओं के मनोरंजन को अस्वीकार करते हैं, निर्णय लेनदार को खारिज किए

बिना, जिसके पक्ष में निर्णय पारित किया गया है, सक्षम निष्पादन न्यायालय के समक्ष निष्पादन कार्यवाही दायर करने के लिए।

/

/

/

/

/

/

7.1 उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम केवल उपरोक्त आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर देते।हालांकि, इसी तरह के आदेश को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया

सरस्वतीबाई चंद्रकांत शिंदे (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा, ए

/

123

भारत का राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण बनाम शीतल जयदेव वाद और हमारा। [एम. आर. शाह, जे.]

हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ वर्तमान कार्यवाही/अपील का निपटारा करना उचित समझते हैं:

(i) एनएचएआई मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत, जैसा कि मध्यस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है, चार सप्ताह की अवधि के भीतर निष्पादन न्यायालय में जमा करेगा।उक्त राशि भूमि मालिकों को बिना शर्त जारी की जाएगी।

/

((ii) विद्वत जिला न्यायालय , जिसके समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा-34 के अंतर्गत कार्यवाही लंबित है, उक्त न्यायालय के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर ऐसी कार्यवाही पर निर्णय लेने का प्रयास करेगा।(iii) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत पारित किए जाने वाले पुरस्कार के अनुसार मुआवजे की शेष राशि, एनएचएआई द्वारा इस तरह के निर्धारण के बाद चार सप्ताह के भीतर निष्पादन न्यायालय में

जमा की जाएगी।उक्त राशि निष्पादन न्यायालय द्वारा भूमि मालिकों के पक्ष में भी जारी की जाएगी, बशर्ते कि विधि ी रूप से पक्षकारों को उपलब्ध अधिकार और उपचार हों।

/

/

इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, अपील का निपटारा किया जाता है।

से।

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 01.04.2022 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को उपरोक्त शब्दों में संशोधित किया गया है।

/

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

दिव्या पांडे

अपील का निपटारा किया गया।

/

/

/